न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2022/ 2517 दिनांक 25/11/2022

प्रार्थीगण :- विप्रार्थीगण:-

मरुबत वगैरा बनाम चांदबाई वगैरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम
वास्ते करने नेखमबंदी बाबत |

राजस्व आवेदन सं. 291/2018 दिनांक : **25.11.2022**

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र कोनरा के मौजा सुरपुरा के खेत खसरा सं. 747/258 रकबा 09.00 बीघा, खसरा सं. 748/268 रकबा 03.00 बीघा, भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है| उक्त विवादित भूमी की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमी की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे|

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों| आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है | प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे |

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन
चौहटन ok

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

क्रमांक/भू.अ./2022/ 2518 to 2521 दिनांक 25/11/2022

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थीगण मरुबत वगैरा
3. विप्रार्थीगण चांदबाई वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बी.....

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2023.02.22 17:46:43 IST
Reason: SelfAttested

(भागीरथ राम II)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन